



सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नयिम, 2023

प्रलिस के लयल:

सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नयिम, 2023, सूचना प्रौद्योगिकी अधननयिम, 2000, श्रेया सधल बनाम भारत संघ (2015), सर्वोच्च नयायालय

मेन्स के लयल:

सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नयिम, 2023 और संबधतल चतलएँ

चरचा में क्यौं?

हाल ही में बॉम्बे उच्च नयायालय (Bombay High Court) ने कहा है कसूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दशल-नरदेश और डजलटल मीडया आचार संहतल) संशोधन नयिम, 2023 पैरोडी या व्यंग्य के माध्यम से सरकार की नषलपक्ष आलोजना को संरक्षण प्रदान नहीं करता है।

- आईटी नयिम सूचना प्रौद्योगिकी अधननयिम, 2000 से अधिकार प्राप्त करते हैं, जो भारत में इलेक्ट्रॉनल कॉमर्स को कानूनी मान्यता देता है।

सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नयिम, 2023:

मध्यवर्ती संस्थानों के लयल अनवलरय:

- कोई भी प्लेटफॉर्म हानकारक अस्वीकृत ऑनलाइन गेम और उनके वज्जापनों की अनुमतल नहीं दे सकता है।
- उन्हें भारत सरकार के बारे में गलत जानकारी साझा नहीं करनी चाहयल, जैसा कएक तथ्य-जाँच इकाई द्वारा पुष्टलकी गई है।
- एक ऑनलाइन मध्यस्थ- जसलमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्वलटर जैसे सोशल मीडया प्लेटफॉर्म तथा एयरटेल, जयल एवं वोडाफोन आइडया जैसे इंटरनेट सेवा प्रदाता शामिल हैं, को केंद्र सरकार से संबधतल सामग्री की मेज़बानी न करने के लयल "उचतल प्रयास" करना चाहयल जसल "तथ्य-जाँच इकाई" द्वारा "नकली या भ्रामक" के रूप में पहचाना जाता है तथा आईटी मंत्रालय द्वारा अधसूचतल कयल जा सकता है।

स्व-नयामक नकलय:

- ऑनलाइन गेमगल प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म को एक स्व-नयामक नकलय (SRB) के साथ पंजीकरण करना होगा जो यह नरधरतल करेगा कखेल "अनुमती" है या नहीं।
- प्लेटफॉर्म को यह सुनश्चतल करना चाहयल कऑनलाइन गेम में कोई जुआ या सट्टेबाज़ी का तत्त्व शामिल न हो। उन्हें कानूनी आवश्यकताओं, मानकों और माता-पतल के नयलत्रण जैसी सुरक्षा सावधानयल का भी पालन करना चाहयल।

सेफ हारबर का दर्जा खतम कयल जाना:

- यद आगामी तथ्य-जाँच इकाई द्वारा कसी भी जानकारी को नकली के रूप में चहनतल कयल जाता है, तो मध्यवर्ती संस्थाओं को इसे हटाने की आवश्यकता होगी, ऐसा न करने पर वे अपने सेफ हारबर को खोने का जोखमल उठाएंगी, जो उन्हें तीसरे पक्ष की सामग्री के खललफ मुकदमेबाज़ी से बचाता है।

- सोशल मीडया साइट्स को ऐसे पोस्ट हटाने होंगे और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ऐसी सामग्री के URL को ब्लॉक करना होगा।

प्रमुख आईटी नयिम, 2021:

- सोशल मीडया प्लेटफॉर्म द्वारा सावधानी बरतना अनवलरय करना:

- विशेष तौर पर आईटी नियम (2021) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री के संबंध में कड़ी नगिरानी करने के लिये बाध्य करते हैं।
- उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरमा सुनिश्चिती करना:
 - इस प्रकार व्यक्तियों को पूर्ण या आंशिक नग्नता या यौन करिया में दिखाने या छेड़छाड़ की प्रकृति सहित प्रतारूपण की प्रकृति आदि में मध्यवर्ती संस्थाएँ व्यक्तियों के नज्ी क्षेत्रों को उजागर करने वाली सामग्री की पहुँच संबंधी शकियातों की प्राप्ति के 24 घंटों के अंदर उन्हें हटा या अक्षम कर देंगी।।
- उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता नीतियों के संदर्भ में शकियति करना:
 - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गोपनीयता नीतियों को यह सुनिश्चिती करना चाहिये कि उपयोगकर्ताओं को कॉपीराइट सामग्री और ऐसी कसिी भी वषिय-वस्तु को प्रसारति न करने के संदर्भ में शकियति कया जाए, जो मानहानिकारक, नस्लीय या जातीय रूप से आपततजिनक, पीडोफलिकि, भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता हेतु खतरा या वदिशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा कसिी समकालीन कानून का उल्लंघन करता हो।

चुनौतियाँ:

- **अस्पष्ट परभाषा:**
 - यह संशोधन **झूठी खबरों/फेक न्यूज़** को परभाषति करने में वफिल है, साथ ही सरकार की तथ्य-जाँच इकाई को राज्य से जुड़े "कसिी भी व्यवसाय के संबंध में" कसिी भी समाचार की सटीकता की पुष्टि करने की अनुमति देता है।
 - अपरभाषति शब्दों का उपयोग, विशेष रूप से वाक्यांश "कोई भी व्यवसाय" सरकार को यह तय करने की अनयित्ति शक्ति देता है कि लोग इंटरनेट पर क्या देख, सुन और पढ़ सकते हैं।
- **फेक न्यूज़ को लेकर स्पष्टता का अभाव:**
 - IT नियम, 2023 गलत या भ्रामक जानकारी को परभाषति नहीं करते हैं, न ही वे तथ्य-जाँच इकाई हेतु योग्यता और प्रक्रियाओं को परभाषति करते हैं।
 - इसने फेक न्यूज़ के रूप में क्या योग्य है, यह निर्धारति करने की सरकार की अत्यधिक शक्ति के बारे में चिंता जताई है क्योंकि नियम शब्द की स्पष्ट परभाषा प्रदान नहीं करते हैं।
- **जानकारी हटाना:**
 - तथ्य-जाँच इकाई द्वारा गलत समझी जाने वाली जानकारी को मध्यवर्ती संस्थाएँ हटा देंगी, केवल राज्य को यह निर्धारति करने की शक्ति है कि क्या सही है।
 - नया वनियमन सरकार को यह तय करने की शक्ति प्रदान करता है कि कौन-सी सूचना फर्ज़ी/गलत है तथा बचौलियों को फर्ज़ी या गलत माने जाने वाले पोस्ट को हटाने के लिये मज़बूर करके सेंसरशिप का उपयोग करे।
- **उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन:**
 - [2015] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि अभिव्यक्ति/वाक् को सीमति करने वाले कानून न तो संदिग्ध होने चाहिये, न ही व्यापक अनुप्रयोग योग्य ('Neither be Vague nor Over-broad')।

आगे की राह

- गलत सूचनाओं और फर्ज़ी/भ्रामक खबरों से निपटने के लिये सरकार एवं बचौलियि एल्गोरदिम तथा तथ्य-जाँच वेबसाइट्स जैसे प्रौद्योगिकी समाधानों का उपयोग कर सकते हैं।
- बचौलियि स्व-नियामक उपायों को भी लागू कर सकते हैं जैसे कि सामग्री की नगिरानी करना तथा तथ्यों की जाँच करने वाली वेबसाइट्स के साथ कार्य करना।
- इसके अतिरिक्त सेंसरशिप के खतरों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने एवं मुक्त वाक्/अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने हेतु सोशल मीडिया अभियानों, कार्यशालाओं एवं सार्वजनिक मंचों पर चर्चा जैसे उपायों का उपयोग कर सकते हैं।

स्रोत: द हिंदू